

श्रेष्ठक

श्री अमीक गांगुली,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा, केन्द्रीय 2 तमड़ाव, केन्द्रीय
प्रतिष्ठान विहार नई दिल्ली ।

क्रमांक 171 अनुभाग

दिनांक: 14 नवम्बर, 1996


विषय:-

मारिया असेम्प्ला कॉन्वेंट स्कूल इंडियाल रोड खोहरताल काशीपुर नैनीताल को सी०बी०सि०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अर्थात् प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह बताने का निदेश हुआ है कि मारिया असेम्प्ला कॉन्वेंट स्कूल इंडियाल रोड खोहरताल काशीपुर नैनीताल को सी०बी०सि०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय को परीक्षाओं को सहायता का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद के केंद्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा प्रारम्भिक/विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोतिल फार दि इंडियन स्कूल सही फिक्सेड इन्वैस्टमेंट नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार के अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 151 संस्थाके अधिक स्वं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित धनमानों तथा अन्य भत्तों से कम धनमान तथा अन्य भत्तों दिए नहीं दिये जायेगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवाओं कायमा जायेगी और उन्हें सम्बद्धता प्रदान



असातकीय उत्त्तर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमत्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

- 17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।
- 18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकों में रखा जायेगा ।
- 19। उक्त प्रतों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में क्वी प्रकार की वृत्त या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनाथित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

अशोक मांगी ।
संयुक्त सचिव ।

पुंनं 3815411/15-7-1996 तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त उच्च शिक्षा निदेशक इमार्थु मण्डल नैनीताल ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, नैनीताल ।
- 4- निरीक्षक जगत भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रमुख, मारिया असेम्प्टा कान्वेंट स्कूल दड़ियाल रोड डीकराताल काशीपुर नैनीताल ।

आज्ञा है,

Handwritten signature

अशोक मांगी ।
संयुक्त सचिव ।



Manager / प्रबंधक
Maria Assumpta Convent School
मारिया असुम्पता कान्वेंट स्कूल
P.B. No.-16 Dariyal Road
पोस्टां नं-16 दरियाल रोड
Kashipur (U.S.Nagar) / काशीपुर (यूसनगर)